न्यायालय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी।
उपस्थित :– डी0पी0 गैरोला, एच.जे.एस.
दीवानी निगरानी संख्या :– 1 सन्–2018.

ब्रह्मचारी हरिकृष्ण भगत चेला नागा बाबा कल्याण गिरी, **...निगरानीकर्ता.**
उम्र–29 वर्ष,
निवासी–गोफियारा, उत्तरकाशी,
हाल–अनन्त स्मृति उजेली, उत्तरकाशी।

बनाम

(1) उत्तराखण्ड राज्य, **.....उत्तरदातागण.**
द्वारा–कलक्टर, उत्तरकाशी।

(2) समस्त भक्तजन एवं सन्तजन,
सम्बन्धित ब्रह्मलीन नागाबाबा कल्याण गिरी,
चेला श्री महन्त रामेश्वर गिरी जी महाराज,
निवासी–उजेली, पट्टी–बाड़ाहाट,
उप–तहसील–जोशियाड़ा, जिला–उत्तरकाशी।

(3) श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री वीर सिंह,
उम्र–35 वर्ष,
निवासी–गोफियारा, पट्टी–बाड़ाहाट,
उप–तहसील–जोशियाड़ा, जिला–उत्तरकाशी।

श्री आर0पी0 सेमवाल, एडवोकेट, निगरानीकर्ता की ओर से।

श्री डी0एस0 नेगी, ए.डी.जी.सी. (सिविल),उत्तरदाता संख्या–1 की ओर से।

श्री ए0एस0 बिष्ट, एडवोकेट, उत्तरदाता संख्या–2 व 3 की ओर से।

:: निर्णय ::

1. प्रस्तुत दीवानी निगरानी निगरानीकर्ता/वादी ब्रह्मचारी हरिकृष्ण भगत चेला नागा बाबा कल्याण गिरी ने उत्तरदाता/प्रतिवादीगण उत्तराखण्ड राज्य आदि के विरुद्ध सिविल जज (जू.डि.), उत्तरकाशी द्वारा दीवानी वाद संख्या–31 सन्–2017 ब्रह्मचारी हरिकृष्ण भगत चेला नागा बाबा कल्याण गिरी बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में पारित आदेश दिनांकित–10.05.2018 के विरुद्ध दायर की है।

2. संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ब्रह्मचारी हरिकृष्ण भगत चेला नागा बाबा कल्याण गिरी द्वारा सिविल जज (जू0डि0), उत्तरकाशी के न्यायालय में दीवानी वाद संख्या–31 सन्–2017 ब्रह्मचारी हरिकृष्ण भगत चेला नागा बाबा कल्याण गिरी बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि धारा–34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अर्न्तगत घ ोषणात्मक आज्ञप्ति हेतु दायर किया गया। दौरान वाद प्रार्थिनी/आपत्तिकर्ता

श्रीमती सुनीता द्वारा आदेश–1 नियम–10 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि मौजा–गोफियारा (बाड़ाहाट), तहसील–भटवाड़ी/उप तहसील–जोशियाड़ा, जनपद–उत्तरकाशी की नॉन जेड.ए. खतौनी में दर्ज खसरा नम्बर–1711 रक्वा–0.003 है0 भूमि एक सख्स स्वामी नागा बाबा कल्याण गिरी महाराज चेला महन्त रामेश्वर गिरी निवासी गोफियारा, तहसील–भटवाड़ी/उप तहसील–जोशियाड़ा, जनपद–उत्तरकाशी को नजूल पट्टे पर स्वीकृत थी और उन्हीं के अध्यासन में थी, जिस पर स्वामी नागा बाबा कल्याण गिरी महाराज द्वारा एक कच्ची झोपड़ी निर्मित की गयी थी, जो काफी सालों पूर्व टूट गयी थी तथा कुछ भूमि अभी भी खाली है, जिस पर प्रार्थिनी का ही कब्जा काश्त है। दिनांक–30.07.2016 को उक्त सख्त स्वामी नागा बाबा कल्याण गिरी महाराज ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए नकद मुवलिग–20,000/–रु. चुक्ता रुप से प्राप्त कर रुबरु गवाहान 10/–रु. के स्टाम्प पेपर पर लिखित तहरीर करवाकर सदैव के लिए प्रार्थिनी/आपत्तिकर्ती को विक्रय कर कब्जा हस्तान्तरित किया गया था। उक्त विक्रय के सम्बन्ध में निष्पादित लिखत दिनांक–30.07.2016 पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित है। हाल ही में प्रार्थिनी को क्षेत्रीय पटवारी बाड़ाहाट के यहां पर अपनी सम्पत्ति के अभिलेखों की पड़ताल के दौरान ज्ञात हुआ है कि वादी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति के संदर्भ में एक वाद फर्जी व गलत आधारों पर न्यायालय में पेश किया गया है, जबकि उक्त सम्पत्ति प्रार्थिनी द्वारा इसके वास्तविक भूमिधर से नकद धनराशि देकर बजरिए विक्रीनामा लिखत के क्रय की गयी है तथा उस पर मात्र प्रार्थिनी का ही स्वतंत्र एवं निर्विवाद कब्जा काश्त है और उक्त सम्पत्ति को माल कागजात में अपने नाम दर्ज करवाने हेतु न्यायालय जिला कलक्टर उत्तरकाशी के यहां वाद विचाराधीन है क्योंकि पट्टेदार पट्टे को बिना फ्री–होल्ड किए कोई वसीयत नहीं कर सकता है, कलक्टर के पूर्व अनुमोदन पर ही पट्टेदार किसी के नाम ऐसी सम्पत्ति की वसीयत कर सकता है और उक्त मामले में पट्टा फ्री–होल्ड नहीं है और फर्जी एवं कूटरचित तथाकथित वसीयत के आधार पर वादी द्वारा उपरोक्त वाद न्यायालय में दायर कर जानबूझकर प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि सम्पत्ति प्रार्थिनी के ही कब्जे काश्त में है तथा वादी कई बार पुलिस लेकर प्रार्थिनी के कब्जे में दखल दे चुका है, जिस कारण वाद में प्रार्थिनी को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थिनी को सुना जाकर तद्नुसार गुण–दोष के आधार पर कोई निर्णयादेश पारित किया जाय।

3. उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध निगरानीकर्ता/वादी ब्रह्मचारी हरिकृष्ण भगत द्वारा आपत्ति कागज संख्या–**32–ग²** प्रस्तुत की गयी तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किया कि प्रार्थिनी श्रीमती सुनीता देवी किसी भी तरह से

निगरानीकर्ता/वादी के गुरु की सम्पत्ति को हड़प करना चाहती है, जो सरासर गलत और गैर कानूनी है। निगरानीकर्ता/वादी के गुरु नागा बाबा कल्याण गिरी सन्यास परम्परा से हैं, जबकि श्रीमती सुनीता देवी गृहस्थ परम्परा से है। यह मामला निगरानीकर्ता/वादी, जो कि एक विरक्त सन्त है और सन्यास परम्परा से सम्बन्ध रखता है, वादी के पक्ष में उसके गुरु द्वारा किए गए पंजीकृत बसीयतनामे के आधार पर अपने को उत्तराधिकारी घोषित कराने की मंशा से दायर किया गया है, जिसमें सन्यास परम्परा से वादी के गुरु की सम्पत्ति में हक–अधिकार रखने वाला व्यक्ति ही आपत्ति कर सकता है, श्रीमती सुनीता देवी को उक्त वाद में कोई भी हक–अधिकार पक्षकार बनने का प्राप्त नहीं है। उसका प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं है, प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। श्रीमती सुनीता देवी का प्रार्थना जाब्ता दीवानी के प्राविधानों के अनुसार सत्यापित नहीं है, इस कारण से त्रुटिपूर्ण है।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक–10.05.2018 को प्रार्थना पत्र **28–क** एवं आपत्ति कागज संख्या–**32–ग²** पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के उपरान्त प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र **28–क** स्वीकार कर उसे पक्षकार के रुप में प्रतिस्थापित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/वादी द्वारा प्रस्तुत दीवानी निगरानी दायर की गयी है।

5. निगरानीकर्ता की ओर से इन आधारों पर निगरानी दायर की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि विरुद्ध होने से खण्डित होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रकृति, तथ्यों एवं पक्षकारों के हितों के प्रश्नगत सम्पत्ति में सन्निहित होने के मूल तथ्यों पर लेशमात्र भी विचार नहीं किया है और विपक्षी संख्या–3 श्रीमती सुनीता के द्वारा प्रस्तुत निराधार एवं गैर कानूनी प्रार्थना पत्र के आधार पर उसे निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में पक्षकार बना दिया, जिससे निगरानीकर्ता के साथ न्याय नहीं हो पाया है। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं ही स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि नागा बाबा कल्याण गिरी को नजूल पट्टे पर स्वीकृत हुई थी और उन्हीं के अध्यासन में थी, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के काबिज व मालिक निगरानीकर्ता के गुरु ही थे। उक्त सम्पत्ति साधु–महात्मा लोगों की है, जिस पर उत्तराधिकार केवल निगरानीकर्ता का ही बनता है, किन्तु विपक्षी संख्या–3 ने कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अपने को पक्षकार बनाए जाने की याचना की है, जबकि सम्बन्धित कूट रचित अभिलेख विधि की दृष्टि में शून्य हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर कोई गौर न करके कानूनी भूल की है। प्रार्थिनी श्रीमती सुनीता देवी का प्रश्नगत सम्पत्ति में कोई भी हित सन्निहित नहीं है, उसने दिनांक–08.02.2018 को पक्षकार बनाए जाने के लिए

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि समाचार पत्र में प्रकाशन दिनांक–27.03.2018 को हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या–3 की गिद्ध दृष्टि प्रश्नगत सम्पत्ति पर लगी हुई है, जबकि उसका स्वयं का पारिवारिक मकान तिलोथ मोटर मार्ग के पास है, वह दावी सम्पत्ति के पास स्थित सरकारी भूमि पर अपनी गाय बांधती थी, निगरानीकर्ता कुछ समय के लिए देशाटन में चला गया, विपक्षी संख्या–3 ने निगरानीकर्ता व उसके गुरु की कुटिया को खाली देखकर उसे हड़प करने की साजिश रची है और उस साजिश का विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी तौर पर सत्यापन कर दिया, जो सरासर गैर कानूनी है। विपक्षी संख्या–3 बाल–बच्चेदार गृहस्थ महिला है, उसका सन्त परम्परा से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है और गिनरानीकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर न करके विपक्षी संख्या–3 को पक्षकार बनाने के आदेश पारित कर दिए, जिससे लम्बी मुकदमेबाजी होने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है। चूंकि प्रश्नगत सम्पत्ति में या गुरु–शिष्य की उद्घोषणा किए जाने में विपक्षी संख्या–3 का कोई भी कानूनी हित सन्निहित नहीं है, वह न तो निगरानीकर्ता के गुरु की शिष्या है न भक्त है और न ही अनुयायी है बल्कि फर्जी कागजों के आधार पर अपने को दावी सम्पत्ति का क्रेता बताती है, विपक्षी संख्या–3 द्वारा जिन अभिलेखों का अवलम्बन लेते हुए अपने को पक्षकार बनाए जाने की याचना की गयी है, वे अभिलेख क्योंकि विधि की दृष्टि में शून्य हैं, जिनके आधार पर सम्पत्ति का विक्रय अथवा अन्यथा अन्तरण होना कानूनन वैध नहीं है, फलतः विपक्षी संख्या–3 को पक्षकार बनाए जाने की कोई भी कानूनी आवश्कता नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर कोई गौर न करके सरासर गैर कानूनी आदेश पारित करते हुए विपक्षी संख्या–3 श्रीममी सुनीता देवी को मूल वाद में बिना किसी हक–अधिकार और हितों के पक्षकार बनाने के आदेश पारित कर दिया, जिससे निगरानीकर्ता के साथ न्याय नहीं हो पाया है।

6. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं विद्वान सिविल जज (जू0डि0), उत्तरकाशी द्वारा पारित आदेश दिनांकित–10.05.2018 का परिशीलन किया।

7. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रकृति, तथ्यों एवं पक्षकारों के हितों के प्रश्नगत सम्पत्ति में सन्निहित होने के मूल तथ्यों पर विचार नहीं किया है और विपक्षी संख्या–3 श्रीमती सुनीता के द्वारा प्रस्तुत निराधार एवं गैर कानूनी प्रार्थना पत्र के आधार पर उसे निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में पक्षकार बना दिया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क

किया गया कि प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं ही स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि नागा बाबा कल्याण गिरी को नजूल पट्टे पर स्वीकृत हुई थी और उन्हीं के अध्यासन में थी, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के काबिज व मालिक निगरानीकर्ता के गुरु ही थे। उक्त सम्पत्ति साधु–महात्मा लोगों की है, जिस पर उत्तराधिकार केवल निगरानीकर्ता का ही बनता है, किन्तु विपक्षी संख्या–3 ने कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अपने को पक्षकार बनाए जाने की याचना की है, जबकि सम्बन्धित कूट रचित अभिलेख विधि की दृष्टि में शून्य हैं। विद्वान अधिवक्ता द्व ारा यह भी तर्क किया गया कि प्रार्थिनी श्रीमती सुनीता देवी का प्रश्नगत सम्पत्ति में कोई भी हित सन्निहित नहीं है, उसने दिनांक–08.02.2018 को पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि समाचार पत्र में प्रकाशन दिनांक–27.03.2018 को हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या–3 की गिद्ध दृष्टि प्रश्नगत सम्पत्ति पर लगी हुई है, जबकि उसका स्वयं का पारिवारिक मकान तिलोथ मोटर मार्ग के पास है, वह दावी सम्पत्ति के पास स्थित सरकारी भूमि पर अपनी गाय बांधती थी, निगरानीकर्ता कुछ समय के लिए देशाटन में चला गया, विपक्षी संख्या–3 ने निगरानीकर्ता व उसके गुरु की कुटिया को खाली देखकर उसे हड़प करने की साजिश रची है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि विपक्षी संख्या–3 बाल–बच्चेदार गृहस्थ महिला है, उसका सन्त परम्परा से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है और निगरानीकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया था। चूंकि प्रश्नगत सम्पत्ति में या गुरु–शिष्य की उद्घोषणा किए जाने में विपक्षी संख्या–3 का कोई भी कानूनी हित सन्निहित नहीं है, वह न तो निगरानीकर्ता के गुरु की शिष्या है न भक्त है और न ही अनुयायी है बल्कि फर्जी कागजों के आधार पर अपने को दावी सम्पत्ति का क्रेता बताती है, विपक्षी संख्या–3 द्व ारा जिन अभिलेखों का अवलम्बन लेते हुए अपने को पक्षकार बनाए जाने की याचना की गयी है, वे अभिलेख क्योंकि विधि की दृष्टि में शून्य हैं, जिनके आधार पर सम्पत्ति का विक्रय अथवा अन्यथा अन्तरण होना कानूनन वैध नहीं है, फलतः विपक्षी संख्या–3 को पक्षकार बनाए जाने की कोई भी कानूनी आवश्कता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर कोई गौर न करके विपक्षी संख्या–3 श्रीमती सुनीता देवी को मूल वाद में पक्षकार बनाने का आदेश पारित करने त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश अपास्त होने योग्य है।

8. उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानीकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करने हुए तर्क किया गया कि खसरा

नम्बर–1711 रक्वा–0.003 है0 भूमि स्वामी नागा बाबा कल्याण गिरी महाराज चेला महन्त रामेश्वर गिरी निवासी गोफियारा, तहसील–भटवाड़ी/उप तहसील–जोशियाड़ा, जनपद–उत्तरकाशी को नजूल पट्टे पर स्वीकृत थी और उन्हीं के अध्यासन में थी, जिस पर स्वामी नागा बाबा कल्याण गिरी महाराज द्वारा एक कच्ची झोपड़ी निर्मित की गयी थी, जो काफी सालों पूर्व टूट गयी थी तथा कुछ भूमि अभी भी खाली है, जिस पर उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 का ही कब्जा काश्त है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि दिनांक–30.07.2016 को उक्त सख्त स्वामी नागा बाबा कल्याण गिरी महाराज ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए नकद मुवलिग–20,000/–रु. प्राप्त कर गवाहान के समक्ष 10/–रु. के स्टाम्प पेपर पर लिखत करवाकर हमेशा के लिए उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 को विक्रय कर कब्जा हस्तान्तरित किया गया था और उक्त विक्रय से सम्बन्धित लिखत दिनांक–30.07.2016 पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि हाल ही में उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 को सम्पत्ति के अभिलेखों की खोजबीन करने के दौरान पता चला कि निगरानीकर्ता/वादी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति के संदर्भ में एक वाद फर्जी व गलत आधारों पर न्यायालय में पेश किया गया है, जबकि उक्त सम्पत्ति उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 द्वारा इसके वास्तविक भूमिधर से नकद धनराशि देकर जरिए विक्रीनामा लिखत के क्रय की गयी है तथा उस पर मात्र उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 का ही स्वतंत्र एवं निर्विवाद कब्जा काश्त है और उक्त सम्पत्ति को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि चूंकि पट्टेदार पट्टे को बिना फ्री–होल्ड किए कोई वसीयत नहीं कर सकता है, कलक्टर के पूर्व अनुमोदन पर ही पट्टेदार किसी के नाम ऐसी सम्पत्ति की वसीयत कर सकता है और उक्त मामले में पट्टा फ्री–होल्ड नहीं है और फर्जी एवं कूटरचित तथाकथित वसीयत के आधार पर निगरानीकर्ता/वादी द्वारा उपरोक्त वाद न्यायालय में दायर कर जानबूझकर उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 को उपरोक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि सम्पत्ति उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 के ही कब्जे काश्त में है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 को पक्षकार मानने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

9. मैं निगरानीकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से सहमत हूं क्योंकि निगरानीकर्ता/वादी द्वारा घोषणात्मक आज्ञप्ति का वाद वहैशियत शिष्य स्वयं को नागा बाबा कल्याण गिरी का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने एवं तद्नुसार खसरा संख्या–1711 मध्ये रक्वा–0.003 है0 भूमि पर नागा बाबा कल्याण गिरी द्वारा निर्मित

कुटिया (सम्पत्ति) का उत्तराधिकारी घोषित करने हेतु दायर किया गया, जबकि उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को नागा बाबा कल्याण गिरी से मुवलिग–20,000/–रु. में खरीदने के आधार पर अपने को प्रश्नगत सम्पत्ति की स्वामी होना बताते हुए निगरानीकर्ता/वादी द्वारा दायर उपरोक्त घोषणात्मक वाद में पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र कागज संख्या–**28–क** आदेश–1 नियम–10 जाब्ता दीवानी के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है। मेरी राय में प्रश्नगत सम्पत्ति में या गुरु–शिष्य की उद्घोषणा किए जाने में उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 का कोई भी कानूनी हित सन्निहित नहीं है और वह न तो निगरानीकर्ता/वादी के गुरु की शिष्या है न भक्त है और न ही अनुयायी है बल्कि वह कथित गैर–पंजीकृत अभिलेख के आधार पर अपने को दावी सम्पत्ति का क्रेता बताती है, जिसकी वैधानिक दृष्टि से कोई मान्यता नहीं है। उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 का यदि नागा बाबा कल्याण गिरी की सम्पत्ति में कोई हित निहित है तो वह इसके लिए अलग से वाद दायर कर सकती है, मगर चूंकि प्रस्तुत वाद निगरानीकर्ता/वादी के नागा बाबा कल्याण गिरी के शिष्य की उद्घोषणा से सम्बन्धित है, इसलिए इस मामले में वह आवश्यक पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तरदाता/विपक्षी संख्या–3 के प्रार्थना पत्र कागज संख्या–**28–क** को स्वीकार कर उसे वाद में बतौर पक्षकार प्रतिस्थापित करने का आदेश निर्गत करने में निश्चय ही त्रुटि की गयी है। फलस्वरुप निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

:: आदेश ::

निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सिविल जज (जू0डि0), उत्तरकाशी द्वारा पारित आदेश दिनांकित–10.05.2018 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली अविलम्ब सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाय। निगरानी की परिस्थितियों में उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक–23.07.2018 को उपस्थित होंवे।

दिनांक–जुलाई,10,2018.

(डी0पी0 गैरोला)
जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित तथा हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनांक–जुलाई,10,2018.

(डी0पी0 गैरोला)
जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी।